

फैद अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण
नहनूराम वगै० बनाम सरकार वगै०

नं० :- 274 / 2025

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विरतृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| 12.05.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 2 ता 22 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वारस्ते आदेश हेतु दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।</p> | |
| 16.05.2025 | <p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.2000 है०, खसरा नम्बर 802 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 804 रकबा 1.0900 है० व खसरा नम्बर 840 रकबा 1.1100 है० कुल किता 5 रकबा 2.4700 है० ग्राम टोडामीणा, पटवार हल्का टोडामीणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम टोडामीणा, पटवार हल्का टोडामीणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.2000 है०, खसरा नम्बर 802 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 804 रकबा 1.0900 है० व खसरा नम्बर 840 रकबा 1.1100 है० कुल किता 5 रकबा 2.4700 है० में यदि मौकें पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ़्तर हों।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जिला जयपुर